महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

ज्ञान शांति मैत्री

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

NAAC Accreditation- "A" Grade

क़ादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्र. : 005/2018/IAIP/DAIP/2019/01/455

दिनांक : 31. 05. 2019

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र.: 019/2019/भा.विद्या./18 (पार्ट-1)/395 दिनांक 02.05.2019 के माध्यम से सत्यनिष्ठा एवं **साहित्यिक चोरी संबंधी प्रारूपों** को विश्वविद्यालय की **वेबसाइट पर अपलोड** कराया गया है।

उक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 31 जुलाई, 2018 से पूर्व शोध-प्रबंध परीक्षार्थ प्रस्तुत करने वाले शोधार्थियों को भी प्रारूप I, II एवं IV प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रारूप III संबंधी सत्यापन प्रपत्र उनके संबंध में तब तक अपेक्षित नहीं होगा, जब तक कि साहित्यिक चोरी के संबंध में उनकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती।

31 जुलाई, 2018 के पश्चात् शोध-प्रबंध परीक्षार्थ प्रस्तुत करने वाले शोधार्थियों को प्रारूप I, II एवं IV तो प्रस्तुत करना ही होगा, विश्वविद्यालय उनके शोध-प्रबंधों की यथासमय जाँच करवाकर प्रारूप III भी जारी करेगा। जब तक यह व्यवस्था नहीं होती, प्रारूप I, II एवं IV के आधार पर शोध-प्रबंधों की मूल्यांकन-प्रक्रिया जारी रखी जाए। जाँच एवं सत्यापन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

31 जुलाई, 2018 के पूर्व अथवा पश्चात् कभी भी शोध-प्रबंध जमा कराने वाले **शोधार्थियों की मौखिकी तब तक न करायी** जाए, जब तक वे **प्रारूप I, II एवं IV जमा न करा दें**। उनको उपाधि प्रदान करने की **अधिसूचना भी जारी न की जाए**।

प्रारूप I, II एवं IV (समस्त प्रमाण पत्रों) की मूल प्रतियों को संबंधित विभाग/केंद्र में संरक्षित किया जाए। शोधार्थी, जो पहले ही शोध-प्रबंध जमा कर चुके हैं, मूल प्रतियां विभाग में जमा करायें और एक प्रति (ज़ेरॉक्स) **परीक्षा विभाग में जमा** करायें। सभी ज़ेरॉक्स प्रतियां शोधार्थी द्वारा स्व-प्रमाणित अवश्य हों।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

क़ादर नवाज़
(क़ादर नवाज़ ख़ान)
31/05/19

प्रतिलिपि : *सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।*

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. प्रभारी, परीक्षा विभाग।
4. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी ।
5. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष।
7. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. कार्यालय प्रति।